संख्या-254/2026/596/26-27-सिं0-4-सीएन-1664563

प्रेषक,

रमेश चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ, दिनांक 29 मार्च, 2026**

विषयः ओखला बैराज से संबंधित अवयवों को प्रतिस्थापित कराने/ पुनरोद्धार हेतु बैराज पर क्लोजर एवं आगरा नहर के क्षमता पुनर्स्थापना के कार्य हेतु आगरा नहर के बंदी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(अनुश्रवण एवं मूल्यांकन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 के पत्रांक-778/सिनिक-19/नहर बंदी दिनांक 17.03.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 10.03.2026 से दिनांक 19.04.2026 की मध्य रात्रि तक आगरा नहर क्लोजर/ ओखला बैराज के क्लोजर की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, ओखला, नई दिल्ली द्वारा प्राथमिकता पर ओखला बैराज से संबंधित अवयवों को प्रतिस्थापित कराने/पुनरोद्धार संबंधी कार्य एवं आगरा नहर के क्षमता पुनर्स्थापना का कार्य उक्त नहर बन्दी अवधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. विभाग द्वारा उक्त नहर बन्दी के दौरान बजट उपलब्धता के अन्तर्गत कार्य कराया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि देनदारियों की स्थिति उत्पन्न न हो।

4. नहर बन्दी के दौरान कराये गये कार्यों की ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी भी करायी जाये।

5. नहर बन्दी के विषय में सभी उपलब्ध संचार/समाचार माध्यमों से स्थानीय कृषकों की जानकारी हेतु समुचित प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराते हुये इस विषय में क्षेत्रीय मा0 संसद सदस्य, मा0 सदस्य विधान सभा एवं अन्य जन प्रतिनिधिगण को व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया जाये।

भवदीय,
रमेश चन्द्र
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०, लखनऊ।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग/ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
4. आयुक्त, मेरठ/आगरा।
5. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
6. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना/यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
7. मुख्य अभियंता स्तर-1(पश्चिम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, मेरठ।
8. मुख्य अभियंता(यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, ओखला, नई दिल्ली।
9. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को प्रचार-प्रसार हेतु।
10. जिला कृषि अधिकारी, मथुरा।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र
अनु सचिव।